<u>न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद</u> <u>जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश</u>

प्रकरण कमांक : 700505 / 16

संस्थापन दिनांक : 22.08.2016

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मालनपुर जिला भिण्ड म.प्र.

- अभियोजन

बनाम

1—पुलन्दरसिंह पुत्र प्रभूदयाल कुशवाह उम्र 38 साल निवासी ग्राम तिलौरी थाना मालनपुर जिला भिण्ड म.प्र.

– अभियुक्त

<u>निर्णय</u>

(आज दिनांक.....को घोषित)

- उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा 294, 506 भाग दो भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 01.08.16 को 19:00 बजे एस.आर.एफ. फैक्टी गेट के सामने मालनपुर जिला भिण्ड पर रामकुमार अ0सा01 को लोकस्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया तथा रामकुमार अ0सा01 को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 2. अभियोजन मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 01.08.16 को फरियादी रामकुमार अ0सा01, उसका भाई राजेन्द्र अ0सा02 और जण्डेल अ0सा03 एस.आर.एफ. फैक्ट्री के गेट के सामने बैठे थे तब 19:00 बजे आरोपी पुलन्दर लाइसेन्सी की बंदूक लेकर आया और बोला कि पण्डितों की मां चोदना है। फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपी ने लासेन्सी बंदूक फरियादी के सीने पर लगा दी और अश्लील गालियां दी और कहा कि वह गांव में नहीं रहने देगा जिससे फरियादी डर गया। जण्डेल अ0सा03 ने भी आरोपी को समझाया परन्तु वह नहीं माना क्योंकि आरोपी शराब पिए था फिर आरोपी वहां से चला गया। तत्पश्चात फरियादी रामकुमार अ0सा01 ने थाना मालनपुर में लिखित आवेदन प्र0पी—1 दिया जिस पर से थाना मालनपुर में आरोपी के विरुद्ध अप0क0 130/16

पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी—6 पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

आरोपी ने आरोप पत्र अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया है।

प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि :–

3.

4.

- 1. क्या दिनांक 01.08.16 को 19:00 बजे एस.आर.एफ. फैक्ट्री गेट के सामने मालनपुर जिला भिण्ड पर रामकुमार अ0सा01 को लोकस्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षीभ कारित किया ?
- 2. क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर आरोपी ने रामकुमार अ०सा०१ को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

/ / विचारणीय प्रश्न क्रमांक ०१ व ०२ का सकारण निष्कर्ष / /

- 5. रामकुमार अ0सा01 ने कथन किया है कि दिनांक 01.08.14 को शाम 7 बजे एस.आर.एफ. फैक्ट्री के गेट पर आरोपी पुलन्दर बिना किसी बात के उससे कहने लगा कि मां चोद देंगें, बहन चोद देंगें और गांव में नहीं रहने देंगें और बंदूक लगा दी आरोपी के पास माउजर बंदूक थी। उसके साथ जण्डेल अ0सा03 व राजेन्द्र अ0सा02 भी थे फिर वह लोग चले गये। उसने थाने पर आवेदन प्र0पी–1 दिया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने मौके पर आकर लिखापढी की थी नक्शामौका प्र0पी–2 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके बयान प्र0पी–3 लिए थे।
- राजेन्द्र अ0सा02 ने कथन किया है कि दिनांक 01.08.16 को वह पीपल वाले कुंआ पर एस.आर.एफ. फैक्ट्री गेट के सामने बैठा था उसके साथ उसका भाई रामकुमार अ0सा01 व जण्डेल अ0सा03 भी बैठे थे। तब आरोपी पुलन्दर वहां आया और उसने रामकुमार अ0सा01 को मां—बहन की गालियां दीं और उस पर बंदूक तान दी। उसके बाद आरोपी गाली गलौच करके चला गया और दूसरे दिन सुबह उन्होंने रिपोर्ट की थी। उन्हें डर था कि आरोपी उन पर वार कर देगा इसलिए उन्होंने रात में रिपोर्ट नहीं की।
- 7. जण्डेलसिंह अ०सा०३ ने कथन किया है कि वह आरोपी और फरियादी को जानता है। दिनांक 06.01.17 से 5–6 माह पूर्व शाम को रामकुमार अ०सा०1 और वह स्वयं एस.आर.एफ. फैक्ट्री गेट पर स्थित मंदिर पर बैठे थे तब आरोपी पुलन्दर ने आकर गाली गलौच की और गालियां देकर चला गया इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि जब वह रामकुमार अ०सा०1 और राजेन्द्र अ०सा०2 के साथ बैठा था तब पुलन्दर अपनी लाइसेन्सी बंदूक लेकर आया और बोला कि पण्डितों की मां चोदनी है और मना करने पर रामकुमार अ०सा०1 के सीने पर बंदूक लगा दी और जब उसने बीच बचाव किया तो आरोपी ने कहा कि आइन्दा जान से खत्म कर देगा और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र०पी–4 में भी

दिए जाने से इंकार किया है।

- साक्षी रमेशसिंह अ०सा०४ का कथन है कि वह दिनांक 02.08.16 को 8. थाना मालनपुर में प्र0आरक्षक के पद पर पदस्थ था दिनांक 04.08.16 को उसे रामक्मार शर्मा अ०सा०१ का लेखीय आवेदन प्र०पी–१ थाना मालनपुर में प्राप्त हुआ था जिस पर से उसके द्वारा उक्त आवेदन की जांच की गयी। जांच के पश्चात आरोपी पुलन्दर के विरुद्ध अपराध सिद्ध उसके द्वारा पाया गया था जिसकी जांच रिपोर्ट प्र0पी-5 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात उसके द्वारा अप०क० 130 / 16 अंतर्गत धारा 294, 506 भादस के तहत आरोपी पुलंदर के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी-6 लेख की गयी थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान उसके द्वारा दिनांक 08.08.16 को फरियादी रामकुमार अ०सा०१ की निशादेही पर घटनास्थल का नक्शामौका प्र०पी-2 बनाया गया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तत्पश्चात उसके द्व ारा उक्त दिनांक को ही फरियादी रामकुमार अ०सा०१ के व दिनांक 13.08.16 को साक्षी जण्डेल अ०सा०३ व राजेन्द्र शर्मा अ०सा०२ के कथन उनके बताये अनुसार लेख किए थे तथा दिनांक 20.08.16 को आरोपी पूलंदर को गिरफतार कर प्र0पी–7 का गिरफतारी पंचनामा बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा उक्त दिनांक को ही आरोपी पूलंदर से थाना मालनपुर में प्रस्तृत करने पर एक 315बोर की रायफल दो जिंदा राउण्ड व लाइसेन्स की छायाप्रति जप्त कर प्र0पी–8 का जप्ती पंचनामा बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
- रामक्मार अ०सा०१ ने पैरा ४ में इंकार किया है कि अवधेश व अशोक 9. उसके रिश्तेदार हैं जिन्होंने पुलन्दर की मारपीट की थी। जिसका मुकद्दमा उन पर चल रहा है और जिसमें राजीनामा करने के दबाव के लिए यह मिथ्या प्रकरण पंजीबद्ध कराया है। लेकिन रामकुमार अ०सा०१ के भाई राजेन्द्र अ०सा०२ ने पैरा 3 में स्वीकार किया है कि अशोक व अवधेश उसके रिश्तेदार हैं जो ग्राम मावई के हैं लेकिन यह ज्ञात होने से इंकार किया है कि उन्होंने पुलन्दर की मारपीट की थी और इस सुझाव से भी इंकार किया है कि अवधेश व अशोक के प्रकरण में राजीनामा का दबाव बनाने के लिए यह झूठा प्रकरण कायम कराया है। अतः जबिक रामकुमार अ०सा०१ व राजेन्द्र अ०सा०२ भाई हैं तब अवधेश व अशोक राजेन्द्र अ०सा०२ के रिश्तेदार होने से रामकुमार अ०सा०१ के रिश्तेदार हैं। लेकिन रामकुमार अ०सा०१ ने अवधेश व अशोक से रितर्श्दारी होने के तथ्य से इंकार कर राजेन्द्र अ०सा०२ के कथन का विरोधाभास किया है। सत्य छिपाये जाने के प्रयास से विपरीत उपधारणा निर्मित होती है। जिससे रामकुमार अ०सा०1 की सत्यवादिता खण्डित होती है और बचाव पक्ष की प्रतिरक्षा को बल प्राप्त होता है कि अवेधश व अशोक के प्रकरण में आरोपी पर राजीनामा का दबाव बनाने के लिए यह प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया है
- 10. रामकुमार अ०सा०१ ने मुख्यपरीक्षण में जण्डेल अ०सा०३ व राजेन्द्र अ०सा०२ की उपस्थिति बतायी है। राजेन्द्र अ०सा०२ ने भी जण्डेल अ०सा०३ की उपस्थिति बतायी है। लेकिन जण्डेल अ०सा०३ ने न्यायालयीन साक्ष्य में आरोपी द्वारा जान से मारने की धमकी दिया जाना नहीं बताया है और प्रतिपरीक्षण में बताया है कि उसके और पुलन्दर के अलावा पुलन्दर का भाई सतेन्द्र मौजूद था अन्य कोई मौजूद नहीं था। अतः जण्डेल अ०सा०३ ने राजेन्द्र अ०सा०२ की उपस्थिति का

कथन नहीं किया है। विवेचक रमेश ने पैरा 2 में बताया है कि उन्हें कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं मिला इसलिए उनके कथन नहीं लिए। राजेन्द्र अ०सा०२ रामकुमार अ०सा०1 का भाई है। अतः जण्डेल अ०सा०3 जोकि स्वतंत्र साक्षी है महत्वपूर्ण है और स्वतंत्र साक्षी होते हुए उसके द्वारा न्यायालयीन साक्ष्य में इंकार किया है कि आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी अथवा कहा कि पण्डितों की मां चोदना है। घटनास्थल सार्वजनिक मार्ग होकर लोकस्थान है और आरोपी द्वारा अभिलिखित रूप से घटना में बंदूक का प्रयोग भी किया गया। अतः सार्वजनिक स्थान होने के उपरांत भी कोई स्वतंत्र साक्षी उपलब्ध न होना अस्वाभाविक है और एक मात्र स्वतंत्र साक्षी जण्डेल अ०सा०३ ने अभियोजन मामले में जिस प्रकार घटना घटित होना वर्णित है उक्त तथ्य से ही इंकार किया है। अतः स्वतंत्र साक्षी की संपुष्टि के अभाव में फरियादी और उसके भाई की साक्ष्य की सूक्ष्म विवेचना आवश्यक है।

रामकुमार अ0सा01 ने मुख्यपरीक्षण में बताया है कि घटना एस.आर.एफ. फैक्ट्री गेट की है और पैरा 4 में बताया है कि नक्शामीका प्र0पी-2 पर केवल उसके हस्ताक्षर हैं लेकिन उसमें क्या लिखा उसे पढकर नहीं सुनाया और यह भी स्वीकार किया है कि एस.आर.एफ. फैक्ट्री के गेट के बाद मैन रोड है जिसे पार करने के बाद मंदिर है। राजेन्द्र अ०सा०२ ने मुख्यपरीक्षण में और पैरा २ में बताया 🐔 हैं कि वह एस.आर.एफ. फैक्ट्री के गेट के समाने पीपल के कुंए पर बैठे थे जहां पर गाली गलौच हुई थी और यही उसने पुलिस को बताया था लेकिन नक्शामौका प्र0पी—2 में घटनास्थल एस.आर.एफ. फैक्ट्री गेट के सामने अथवा गेट के सामने रोड के दूसरी तरफ का भी नहीं है अपित् गेट के सामने रोड के दूसरी तरफ हनुमानजी के मंदिर के पश्चिम दिशा में है। इस संबंध में विवेचक रमेश अ०सा०४ ने भी पैरा 3 में स्वीकार किया है कि फैक्ट्री के गेट के सामने घटनास्थल नहीं है और गेट के ठीक सामने रोड है और रोड के दूसरी तरफ मंदिर के बगल में घ ाटनास्थल है जो एक्स के निशान से चिन्हित है। अतः रामकुमार अ०सा०1 की न्यायालयीन साक्ष्य व नक्शामौका प्र0पी-2 में घटनास्थल की मिन्नता है और उसके भाई राजेन्द्र अ0सा02 ने कुंए पर घटना होना बतायी है जबकि कोई कुंआ नक्शामौका प्र0पी-2 में भी चिन्हित नहीं है। अतः घटनास्थल के संबंध में न्यायालयीन साक्ष्य में भी परस्पर विरोधाभास है जिसकी संपुष्टि नक्शामौका प्र0पी—2 से भी नहीं होती है।

2. रामकुमार अ०सा०१ ने पैरा 2 में बताया है कि आवेदन प्र०पी—1 उसने नहीं लिखा किसी दूसरे व्यक्ति ने लिखा था क्योंकि वह पढालिखा नहीं है और केवल हस्ताक्षर करना जानता है लेकिन आवेदन किसने लिखा उसे यह नहीं मालूम। अतः आवेदन प्र०पी—1 फरियादी ने किससे लिखवाया यही उसे ज्ञात नहीं है जो अस्वाभाविक है। आवेदन प्र०पी—1 घटना के दूसरे दिन बनाया गया है और थाने पर दिया गया है। अतः एक दिवस का विलम्ब है जिसका कोई कारण रामकुमार अ०सा०१ ने नहीं बताया है लेकिन राजेन्द्र अ०सा०२ ने बताया है कि वह डर गये थे जबिक ऐसा कोई तथ्य आवेदन प्र०पी—1 में उल्लिखित नहीं है और रमेश असा०४ ने भी पैरा 2 में स्वीकर किया है कि आवेदन प्र०पी—1 में विलम्ब का कोई कारण उल्लिखित नहीं है और जांच के दौरान दिए कथन में भी एक दिवस के विलम्ब का कोई कारण नहीं पाया है। जोिक घटना गंभीर प्रकृति की नहीं है तब भी अज्ञात व्यक्ति से आवेदन प्र०पी—1 लिखवाकर उसे थाने पर घटना के एक

दिवस उपरांत दिया जाना पश्चातवर्ती सोच की संभावना को प्रबल करता है और विलम्ब का कोई कारण अभियोजन स्पष्ट नहीं कर सका है।

- 13. रामकुमार अ०सा०१ ने पैरा 3 में बताया है कि आवेदन प्र०पी—1 देने के 3—4 दिन बाद पुलिस ने उसकी रिपोर्ट लिखी थी और पूछताछ की थी। लेकिन राजेन्द्र अ०सा०२ ने पैरा 2 में बताया है कि उसने एफ.आई.आर. पर हस्ताक्षर किए थे और दिनांक 04.80.16 को उन्हें थाने पर लिखकर लिखापढी की थी जिसके बाद उसने कोई बयान नहीं दिए। एफ.आई.आर. दिनांक 07.08.16 की है और एफ. आई.आर. पंजीकृत होने के उपरांत राजेन्द्र अ०सा०२ व रामकुमार अ०सा०१ ने कथन दिया जाना नहीं बताया है। अतः विवेचना में धारा 161 द.प्र.स. की कार्यवाही का रामकुमार अ०सा०१ व राजेन्द्र अ०सा०२ ने समर्थन नहीं किया है।
- रामकुमार अ0सा01 ने मुख्यपरीक्षण में अश्लील गालियां वर्णित की है परन्तू ऐसा कथन नहीं किया है कि उसे किसी प्रकार का क्षोभ हुआ हो और ना ही ऐसा कथन राजेन्द्र अ0सा02 ने किया है। जबकि उक्त तथ्य अपराध की विषयवस्त् है। अतः न्यायालयीन साक्ष्य में रामकुमार अ०सा०१ या राजेन्द्र अ०सा०२ ने यह ्रस्पष्ट नहीं किया है कि उन्हें गालियां सुनकर बुरा लगा अथवा क्षोभ कारित हुआ। आवेदन प्र0पी–1 में कोई अश्लील गालियों का वर्णन नहीं है जबकि रामकुमार अंग्रेसा01 ने पैरा 2 में बताया है कि उसने आवेदन प्र0पी–1 में अश्लील गालियां 🏿 लिखवाई थीं। अतः अश्लील गालियों का ही लोप आवेदन प्र0पी–1 में है जो अपराध का ही लोप होना स्पष्ट होता है जिसका कोई कारण फरियादी नहीं बता सका है। न्यायालयीन साक्ष्य में उसने वह गालियां वर्णित की हैं जो कथन प्र0पी-3 में नहीं हैं। अतः न्यायालयीन साक्ष्य में और पुलिस कथन प्र0पी-3 में भी विरोधाभास स्पष्ट होता है। राजेन्द्र अ०सा०२ ने घटनास्थल पर उपस्थित होते हुए भी कोई अश्लील गाली वर्णित नहीं की है। अतः सर्वप्रथम बार न्यायालयीन साक्ष्य में आवेदन प्र0पी-1 और कथन प्र0पी-3 से भिन्न रामकुमार अ0सा01 द्वारा वर्णित गालियों का समर्थन भी फरियादी के भाई राजेन्द्र अ०सा०२ ने कथन से नहीं किया है।
- अतः उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना अनुसार रामकुमार अ०सा०१ द्वारा 15. अशोक व अवधेश से नातेदारी अस्वीकार कर राजेन्द्र अ०सा०२ के कथन का खण्डन किया है और असत्य कथन किए हैं और बचाव पक्ष की प्रतिरक्षा को बल प्रदान किया है कि आरोपी पर दबाव बनाने के लिए कार्यवाही की गयी है। घटना का सार्वजनिक स्थान होने के उपरांत भी कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है और एक मात्र स्वतंत्र साक्षी जण्डेल अ०सा०३ ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है और हितबद्ध साक्षी राजेन्द्र अ०सा०२ की उपस्थिति का भी कथन नहीं किया है। ६ ाटनास्थल के संबंध में रामकुमार अ०सा०1 राजेन्द्र अ०सा०2 और विवेचक रमेश अलग–अलग तथ्य बताये हैं। अतः न्यायालयीन साक्ष्य में परिवर्तित घटनास्थल स्पष्ट हुआ है जोकि नक्शामौका प्र0पी–1 से भिन्न है आवेदन प्र0पी–1 की कार्यवाही भी अकारण विलम्ब से की गयी है वह भी किसके द्वारा लिखा गया यह फरियादी को ज्ञात नहीं है। धारा 294 द.प्र.स. के अपराध के आवश्यक तथ्यों का उपरोक्तानुसार लोप व विरोधाभास है। उपरोक्त संपूर्ण तथ्य अभियोजन मामले को संदेहास्पद बनाते हैं जिसके परिणामस्वरूप फरियादी व उसके भाई राजेन्द्र अ०सा०२ के कथन पर भी निर्भर नहीं रहा जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध करने में असफल रहता है।

- 16. अतः उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना से अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहता है कि आरोपी ने दिनांक 01.08.16 को 19:00 बजे एस.आर.एफ. फैक्ट्री गेंट के सामने मालनपुर जिला भिण्ड पर रामकुमार अ0सा01 को लोकस्थान पर अश्लील शब्द उच्चारित कर क्षोभ कारित किया तथा रामकुमार अ0सा01 को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 17. परिणामतः आरोपी को धारा 294, 506 भाग दो भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
- 18. आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
- 19. प्रकरण में जप्त बंदूक कमांक 4290136 आरोपी की सुपुर्दगी में है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात उन्मोचित किया जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जायें।

दिनांक

सही / – (गोपेश गर्ग) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड म०प्र०